

25/09/25

अधिवक्ता उमयपद 30 | उक्त में अधिवक्ता
द्वारा ने निवेदन किया कि उक्त से संबंधित
अपील न्यायालय के समक्ष विचारणीय
मूल बातें निस्तारण हो चुकी हैं।
इस बाद के निर्णय के विरुद्ध मूस अधिवक्ता
द्वारा सीजन न्यायालय के समक्ष अपील प्र-
दत्त पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है संवि-
संका नंबर 38/25 है। अतः उक्त से संबंधित
इस बाद का निस्तारण किसे जानने के फल-
स्वरूप उक्त अपील सारणीन हो चुकी है। अतः
पत्रावली सारणीन होने से पत्रावली प्रस्ताव
जारी। उक्त का अवलोकन किया गया।
प्रकार से संबंधित मूल बातें का निस्तारण
लेने के फलस्वरूप उक्त अपील का और अधिवक्ता
वहीं रह जाता है। अतः पत्रावली सारणीन होने
से पत्रावली की जाती है। पत्रावली प्रस्ताव
कुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दायित्व
होकर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली